

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं०

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

भाग- 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भर जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं०

7 योजना/स्कीम का स्थान

ग्राम साफदरगारी तहसील रुस्त जिल्ला मिलकीपुर

जिला कैजाबाद

(1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र

उत्तर प्रदेश

(2) जिला

कैजाबाद

(3) वन प्रभाग

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग कैजाबाद

(4) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र

0.17987 हे०

हे० मे

(5) वन की कानूनी स्थिति

संरक्षित वन पर स्वाभित्व रज. रज. अधि का है।

(6) हरियाली का घनत्व

0.03

(7) प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम और परिधि श्रेणीवार वृक्षों

कोई वृक्ष वास्तविक नहीं है।

की परिगणना (संलग्न की जाए) सिचाई/जलीय

परियोजना के सम्बन्ध में एक0आर0एल0-2 मीटर पर

परिगणना और एक0आर0एल0-4 मीटर भी संलग्न

किए जाए।

(8) भूधारण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त

असतल स्लेव उपजाऊ भूमि होने के कारण संरक्षित उपजाऊ भूमि के फल स्वरूप न्यूनतम संवेदनशील है।

टिप्पणी

(9) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा भी

राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे की भूमि से अनुमानित दूरी से संरक्षित वन भूमि घोषित है प्रस्तावित भूमि संरक्षित भूमि से नहीं है।

अनुमानित दूरी

(10) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य जैवमण्डल

नहीं

रिजर्व बाघ रिजर्व हाथी कारीडोर आदि का भाग है यदि

नहीं

हैं क्षेत्र का ब्योरा ओर प्रमुख वन्य जीव वाडन की

टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए

(11) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणजगत की दुर्लभ/

नहीं

संकटापन्न विशिष्ट प्रजातियों पाई जाती है यदि हों तो  
तत्सम्बन्धी ब्योरा दें।

(12) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा

नहीं

प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्त्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित  
है यदि हों तो तत्सम्बन्धी ब्योरा सक्षम प्राधिकरण से  
अनामकित प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।

5- प्रत्येक एजेंसी द्वारा भाग 1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि

न्यूनतम है।

की व्यवस्था परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि

नहीं ले जाये गए विकल्पों के ब्योरा के साथ मदवार संस्तुति  
केबन कर है।

6- क्या कानूननियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है

है/नहीं यदि हों तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर

नहीं

की गई कार्यवाही सहित कार्यका ब्योरा दें तथा उल्लंघन

सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

7- प्रतिपूरक वनकरण स्कीम का ब्योरा-

सम्बन्ध है।

(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/

अधिकतम 7 वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भू खण्डों  
की संख्या प्रत्येक भू खण्ड का आकार।

(2) प्रतिपूरक वनकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/अधिकतम -

वन क्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता नैप।

(3) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनकरण

स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंस, समय अनुसूचित लागत  
ढाका आदि।

(4) प्रतिपूरक वनकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिचय।

(5) प्रतिपूरक वनकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में प्रबन्धीय दृष्टिकोण से सख्त प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये।

कालानु है।

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विसेषत उपर्युक्त कालम 7 (6,12) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

कालानु है।

12- पिना जला प्रोफाइल

2646.20 वर्ग कि० मी०

(1) जिले का नौगोलिक क्षेत्र

86.46202 वर्ग कि० मी०

(2) जिले का वन क्षेत्र

21

(3) नानसों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया कुल वन क्षेत्र

(4) 1980 से जिला प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में वनकरण सहित वन भूमि

(ख) वनेत्तर भूमि पूरक

(5) अन्तर्क प्रतिपूरक वनकरण में हुई प्रगति

97.31403


(क) वन भूमि पर

(ख) वनेत्तर भूमि पर

13- प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

अंशकृत वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग हेतु न्यू सिविल काउन्सिल क्षेत्रों हेतु प्रस्ताव की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:-

  
प्रभागीय वन अधिकारी  
वन प्रभाग, फौजाबाद

तिथि - 15-4-16

नाम

स्थान - फौजाबाद

सरकारी मोहर-